पर्यावरण विभाग
राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, दिल्ली सरकार
'सी' विंग, छटा तल, दिल्ली सचिवालय, आई.पी. एस्टेट, नईदिल्ली–110002

फा. सं०: 10(55)/पर्यावरण/2021 16773-6776 दिनांक : 30/12/21

सेवा में,

श्रीमान उपसचिव (प्रश्न शाखा)
दिल्ली विधान सभा सचिवालय
राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, दिल्ली सरकार
पुराना सचिवालय, दिल्ली – 110054

विशय : **विधानसभा अतारांकित प्रश्न संख्या 178 दिनाँक 04.01.2022 के लिए**

महोदय/महोदया,

उपरोक्त उद्धृत विषयानुसार संदर्भ पत्रांक संख्या सं.एफ.11(बी–1) VI/2020–25/वि.स.स./प्रश्न शा./ दिनाँक 25.12.2021, इस कार्यालय से संबंधित एवं उपलब्ध दस्तावेजों के आधार पर पूछे गए प्रश्न का उत्तर अग्रिम कार्यवाही हेतु संलग्न है।

यह विषय माननीय मंत्री (पर्यावरण) / सक्षम अधिकारी से पूर्व अनुमोदित/स्वीकृत है।

भवदीय,

चेतना

(डॉ चेतना आनंद)
वरिष्ठ वैज्ञानिक, पर्यावरण

संलग्नः– उत्तर की प्रतियां (संख्या 100)

फा. सं०: 10(55)/पर्यावरण/2021/6773-6776 दिनांक : 30/12/21

प्रतिलिपि सूचनार्थः–

1. सचिव, माननीय मंत्री (पर्यावरण विभाग), राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, दिल्ली सरकार, दिल्ली सचिवालय, नई दिल्ली।
2. निजि सचिव, सचिव (पर्यावरण एवं वन्य विभाग), राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, दिल्ली सरकार, दिल्ली सचिवालय, नई दिल्ली।

प्रतिलिपि आवश्यक कार्यवाही हेतुः–

1. निदेभाक, सूचना एवं प्रचार निदेशालय, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, दिल्ली सरकार, पुराना सचिवालय, दिल्ली – 110054 **(संलग्न 150 प्रश्न–उत्तर की प्रतियां)।**

चेतना

(डॉ चेतना आनंद)
वरिष्ठ वैज्ञानिक, पर्यावरण

Dr. CHETNA ANAND
Senior Scientific Officer
Department of Environment
Govt. of NCT of Delhi

पर्यावरण विभाग, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार
'सी' विंग, छठा तल, दिल्ली सचिवालय, आईपी स्टेट, नई दिल्ली–110002

अतारांकित प्रश्न संख्या : 178

दिनांक : 04 जनवरी, 2022

प्रश्नकर्ता का नाम : श्री अजय महावर

क्या पर्यावरण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :-

क्रम सं	प्रश्न	उत्तर
क-	पर्यावरण सैस से अब तक दिल्ली सरकार को कुल कितना राजस्व प्राप्त हुआ है और इसमें से किस–किस मद में कितनी–कितनी धनराशि खर्च की गई है;	परिवहन विभाग, दिल्ली सरकार द्वारा 22.11.2021 तक, पर्यावरण उपकर (Environmental Cess) के रूप में कुल रु 1298.38 करोड़ प्राप्त किए गए हैं। पर्यावरण उपकर के कुल 281.51 करोड़ रुपये खर्च किए गए हैं। पर्यावरण उपकर के उपयोग का विवरण संलग्न है।
ख-	शेष राजस्व को भविष्य में खर्च करने की क्या योजनायें हैं;	पर्यावरण उपकर, माननीय सर्वोच्च न्यायालय के रिट याचिका (सिविल) 13029/1985 में एम.सी. मेहता बनाम भारत संघ और अन्य, के निर्देश के अनुसार खर्च किया जा रहा है।
ग-	घोण्डा विधान सभा क्षेत्र में पर्यावरण सैस से किस किस मद में कितनी कितनी धनराशि खर्च की गयी और पर्यावरण को लेकर सरकार द्वारा क्या कदम उठाये जा रहे हैं;	घोंडा विधानसभा क्षेत्र में परिवहन विभाग, दिल्ली सरकार द्वारा पर्यावरण उपकर से पैसा खर्च नहीं किया गया है।
घ-	घोण्डा विधान सभा क्षेत्र में यमुना खादर पर वन के विकास के लिए अब तक क्या कदम उठाये गये हैं और भविष्य में क्या योजनायें हैं; और	वन के विकास, रखरखाव व संरक्षण से संबधित सभी योजनाएं पूरे राज्य के आधार पर तैयार की जाती हैं। घोंडा विधानसभा क्षेत्र में वन विकास के लिए विगत 5 वर्षों में किया गया पौधरोपण इस प्रकार है: क्र.सं. | वर्ष | लगाए गए पौधे 1. | 2016-17 | 16,000 2 | 2017-18 | 21,800 3. | 2018-19 | 75,055 4. | 2019-20 | 57,499 5. | 2020-21 | शून्य
ङ-	इस वन में कितने वन्य जीव जन्तु हैं, पूरा विवरण दें?	घोंडा विधानसभा क्षेत्र में वन एवं वन्य जीव विभाग, दिल्ली सरकार ने जंगली जानवरों की कोई गिनती नहीं की है।

चेतना

Dr. CHETNA ANAND
Senior Scientific Officer
Department of Environment
Govt. of NCT of Delhi

संलग्न

ईसीसी फंड का उपयोग

क्र.स.	राशि (लाख रु. में)	मंजूरी की तारीख	किसे जारी की गई	मद
1	93	14.09.2016	एसडीएमसी	उच्चतम न्यायालय के आदेश, दिनांक 22.08.16, के अनुसरण में आरएफआईडी की पूर्व-निविदा आकस्मिक लागत।
2	15	15.01.2018	पीडब्ल्यूडी	पीडब्ल्यूडी के अनुरोध के अनुसार एसपीएम मार्ग पर एनएमवी लेन का सुधार और रखरखाव।
3	43	2018-2019	डीएम सेन्ट्रल	एसआरडीसी के अनुरोध के अनुसार एसपीएम मार्ग की एनएमवी लेन पर ट्रैफिक मार्शल के रूप में नागरिक सुरक्षा स्वयंसेवकों की तैनाती। (स्वीकृति दिनांक 21.02.18 के अनुसार 15 लाख रुपये और स्वीकृति दिनांक 24.08.19 के अनुसार 28 लाख रुपये)
4	600	29.03.2019	मैसर्स आईओसी	एचसीएनजी परियोजना के लिए मैसर्स आईओसी को प्रथम भाग का भुगतान (सुप्रीम कोर्ट के आदेश दिनांक 13.08.18 के तहत 15 करोड़ रुपये मंजूर किए गए थे)
5	26500	12.03.2019	एनसीआरटीसी	सुप्रीम कोर्ट के आदेश दिनांक 06.03.19 के अनुसरण में दिल्ली-मेरठ आरआरटीएस कॉरिडोर के लिए भुगतान
6	900	05.08.2020	मैसर्स आईओसी	एचसीएनजी परियोजना के लिए मैसर्स आईओसी को दूसरा भुगतान (सुप्रीम कोर्ट के आदेश दिनांक 13.08.18 द्वारा 15 करोड़ रुपये स्वीकृत किए गए थे)
कुल - रु. 281.51 करोड़				

चेतना

Dr. CHETNA ANAND
Senior Scientific Officer
Department of Environment
Govt. of NCT of Delhi